कार्यालय परियोजना प्रशासक मोरण्ड –गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र)

Telephone no. 07570299010 **Email ID – piumorandganjal@gmail.com**

पत्र क्रमांक ...1419..... सिवनी मालवा, दिनांक 22 /11/2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
भू–प्रबन्ध
भोपाल

विषय :– मोरण्ड, गंजाल बांध एवं दाब युक्त सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि व्यपवर्तित प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/IRRIG/36231/2018 को चरणबद्ध तरीके से स्वीकृती प्रदान करने बाबत्।

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (एफसी डिवीजन) F. No. 10-125/2013-FC (pt.-III) दिनांक 25 फरवरी, 2014 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार।

–00–

संदर्भित पत्र के माध्यम से "भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर–वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए दिशा–निर्देश – सिंचाई परियोजनाओं के लिए वन भूमि के विपथन के प्रस्तावों को विभिन्न चरणों में विभाजित कर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के सैद्धांतिक (चरण–1) अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अधिनियम के तहत परियोजना के लिए आवश्यक संपूर्ण वन भूमि के विचलन के लिए, आवश्यक वन भूमि की सीमा और इसके प्रत्येक चरण के निष्पादन के लिए समय–सारणी की सूचना दे सकता है, और केन्द्र सरकार से अंतिम (चरण–2) के अनुदान पर विचार करने का अनुरोध कर सकता है, के प्रावधान को पैराग्राफ 2.2(ii) में सम्मलित किया गया।"

विषयांकित परियोजना हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में वनमण्डल हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल (उत्तर), बैतूल (पश्चिम) एवं खंडवा वनमण्डल की कुल 2272.05 हेक्ट भूमि प्रस्तावित है एवं परियोजना में व्यपवर्तित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कुल 2407.189 हेक्ट. गैर वन भूमि क्रमशः सागर जिले की – 1575.44 हेक्ट., बैतूल जिले की 386.469 हेक्ट., आगर मालवा की 275.28 हेक्ट. एवं जबलपुर की 170.00 हेक्ट. की गैर वनभूमि संबंधित जिलाधीश द्वारा वन विभाग को उपलब्ध कराई गई है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही सभी संबंधित वन विभाग कार्यालय द्वारा प्रचलित है।

परियोजना निर्माण कार्य चार वर्ष में होना संभावित है जिसमें वनभूमि की आवश्यकता चार चरण में प्रस्तावित की जाती है:–

प्रथम चरण में आवागमन मार्ग, विद्युत संचारण लाईन, बॉध निर्माण, खदान एवं मुख्य नहर के घटक में आवेदित भूमि कुल 138.27 हेक्ट. वनभूमि की आवश्यकता 2022–23 में होगी इसके लिए प्रतिपूरक गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जिला जबलपुर की 138.27 हेक्ट. गैर वनभूमि प्रस्तावित है।

द्वितीय चरण (FRL-4) हेतु 1135.57 हेक्ट. वनभूमि की आवश्यकता 2024–25 में होगी, इसके समतुल्य गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जबलपुर जिले की शेष 31.73 हेक्ट.,आगर मालवा की 275.28 हेक्ट. एवं सागर जिले की 828.56 हेक्ट की गैर वनभूमि प्रस्तावित है।

तृतीय चरण (FRL-4) हेतु 616.748 हेक्ट. वनभूमि की आवश्यकता **2025–26** में होगी, इसके समतुल्य गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सागर जिले की शेष 616.748 हेक्ट. की गैर वनभूमि प्रस्तावित है।

चतुर्थ चरण (FRL) हेतु 381.462 हेक्ट. की आवश्यकता **2025–26** में होगी इसके समतुल्य गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सागर जिले की शेष 130.132 हेक्ट. एवं बैतूल जिले की 251.33 हेक्ट., की गैर वनभूमि प्रस्तावित है।

परियोजना में व्यपवर्तित वनभूमि 2272.05 हेक्ट. के प्रतिपूरक भूमि वनीकरण हेतु कुल 2407.89 हेक्ट. जो कि संबंधित जिलाधीश द्वारा वन विभाग को आवांटित की गई ळें

परियोजना हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में कुल 2272.05 हेक्ट भूमि प्रस्तावित है एवं परियोजना में व्यपवर्तित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कुल 2407.89 हेक्ट. गैर वन भूमि उपलब्ध है जिसमे से 135.139 हेक्ट गैर वन भूमि अतिरिक्त समायोजन हेतु उपलब्ध है।

परियोजना निर्माण हेतु भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना को अनुमोदन प्राप्त है।

परियोजना निर्माण हेतु वनाधिकार कानून 2006 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 संबंधित जिलाधीश द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

अतः निवेदन है कि मोरण्ड, गंजाल बांध एवं दाब युक्त सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि व्यपवर्तित प्रस्ताव क्रमांक **FP/MP/IRRIG/36231/2018** को चरणबद्ध तरीके से स्वीकृती प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव को भारत सरकार को राज्य सरकार द्वारा प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रथम चरण निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित 138.27 हेक्ट. वनभूमि पर निर्माण कार्य आरंभ किया जा सके जिसके लिए प्रतिपूरक भूमि वनीकरण हेतु जिला –जबलपुर की 138.27 हेक्ट. की गैर वनभूमि जिलाधीश द्वारा वन विभाग को आबांटित की गई है।

संलग्न :– 01. पत्रक
02. संदर्भित पत्र

परियोजना प्रशासक
मोरण्ड –गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना **क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)**
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र)

पृ. क्रमांक .....

सिवनी मालवा, दिनांक / /2022

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता / परियोजना संचालक , परियोजना प्रबंधक ईकाई, मोरण्ड–गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज (पी.एम.यू.) सनावद जिला–खरगोन (म.प्र)

परियोजना **प्रशासक**
मोरण्ड –गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र)

संलग्न :– 01 पत्रक

मोरण्ड, गंजाल बांध एवं दाब युक्त सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि व्यपवर्तित प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/IRRIG/36231/2018 को चरणबद्ध तरीके से स्वीकृती हेतु

पत्रक

क्रमांक	प्रस्तावित चरण	परियोजना निर्माण घटक	प्रस्तावित वनभूमि	निर्माण वर्ष	वनमण्डल	प्रस्तावित जिले वार क्षतिपूर्ति गैर वनभूमि
1	प्रथम	बॉध निर्माण, मुख्य नहर, विद्युत संचारण लाईन, खदान, आवागमन मार्ग,	138.27 हेक्ट.	2022–23	हरदा , नर्मदापुरम, खंडवा	जबलपुर – 138.27 हेक्ट.
2	द्वितीय	डूब क्षेत्र (FRL-4)	1135.57 हेक्ट.	2024–25	नर्मदापुरम, बैतूल (उ.), बैतूल (प.)	जबलपुर –31.73 हेक्ट आगर मालवा–275.28 हेक्ट., सागर 828.56 हेक्ट.
3	तृतीय	डूब क्षेत्र (FRL-4)	616.748 हेक्ट	2025–26	हरदा	सागर 616.748 हेक्ट.
4	चर्तुथ	डूब क्षेत्र (FRL)	381.462 हेक्ट.	2025–26	हरदा , नर्मदापुरम बैतूल (उ.), बैतूल (प.)	सागर 130.132 हेक्ट. बैतूल 251.33 हेक्ट.
		कुल योग	2272.05 हेक्ट.			2272.05 हेक्ट.

** परियोजना हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में कुल 2272.05 हेक्ट भूमि प्रस्तावित है एवं परियोजना में व्यपवर्तित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कुल 2407.89 हेक्ट. गैर वन भूमि उपलब्ध है जिसमे से 135.139 हेक्ट गैर वन भूमि अतिरिक्त समायोजन हेतु उपलब्ध है।

परियोजना प्रशासक
मोरण्ड –गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र)